REGD. NO. D. L. -33004/99

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ फल॰-33004/99

HRA an USUA The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) PART II--Section 3---Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1090]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2004/अग्रहायण 29, 1926
No. 1090]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2004/AGRAHAYANA 29, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सङ्क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2004

का.आ. 1396(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रमांक सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [0.0 कि.मी. से 103.0 कि.मी. (चेन्नई से रानीपेट) को छोड़कर]	तमिलनाडु राज्य सरकार'';
	और सं. 45ए, सं. 47 [0.000 कि.मी. से 182.040 कि.मी. (सलेम से तमिलनाडु/केरल	
	सीमा) को छोड्कर], सं. 49, सं. 66, सं. 67, सं. 205, सं. 207, सं. 208, सं. 209,	`
	सं. 219 और सं. 220 के तमिलनाडु राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग	
	सं. 45 (पेरियाकुलम को जोड़ने वाले डिंडिगुल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के	
	इसके जंक्शन से प्रारंभ होने वाले और टेनी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 49 के इसके	
	जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग), सं. 45बी, सं. 47बी, सं. 68 और सं. 210 ।	

[फा. सं. एन.एच.~14012/7/2004-पी.एंड एम.]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा का.आ. 1178(अ) तारीख 6 अक्तूबर, 2003 द्वारा संशोधन किया गया था।

3779 GI/2004

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2004

S.O. 1396(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the then Ministry of Transport, number S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957, namely :—

In the Schedule to the said notification, for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :---

 2	3
 So much of National Highway No. 4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 103.0 (from Chennai to Ranipet)] and No. 45A, No. 47, [excluding from Km. 0.000 to Km. 182.040 (from Salem to Tamil Nadu/Kerala Border)], No. 49, No. 66, No. 67, No. 205, No. 207, No. 208, No. 209, No. 219 and No. 220 as are situated within the State of Tamil Nadu and National Highway No. 45 (the highway starting from its junction with National Highway No. 7 near Dindigul connecting Periyakulam and terminating at its junction with National Highway No. 47B, No. 68 and No. 210.	State Government of Tamil Nadu";
	IF No NH-14012/7/2004-P&M

ALOK RAWAT, Jt. Seey.

Foot Note :— The Principal notification was published in the Gazette of India vide S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957 and last amended vide S.O. 1178(E) dated 6th October, 2003 in the then Ministry of Road Transport and Highways.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.